कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून विज्ञप्ति

कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विर्निमाताओ के पंजीकरण हेतु सूचना संख्या–1

कृषि विभाग उत्तराखण्ड की विभिन्न अनुदानित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के कृषकों को वितरित किये जाने वाले निम्न यंत्रों/उपकरणों के ऐसे विनिर्माताओं (**Original manufacturer**) से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो कि आई0एस0आई0/बी0एस0आई0/**FMTTI**/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड हों, मार्क यंत्रों का निर्माण करते हों अथवा इन यंत्रों को अपने रजिस्टर्ड ब्राण्ड नेम से विनिर्मित करते हों। प्रदायकों का पंजीकरण दिनांक–**31.09.2019** तक के लिये किया जायेगा। पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्ते एवं आवेदन पत्र कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक–**28.8.2017** तक (सायं 5.00 बजे तक) प्राप्त किये जा सकते हैं। तद्नुसार दिनांक–**29.8.2017** को सायं 5.00 बजे तक पंजीकरण हेतु कृषि निदेशालय में जमा किये जा सकेंगें। प्रत्येक यंत्र/उपकरण के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र फार्म का शुल्क रू0 2000/–(रूपये दो हजार मात्र) होगा। पंजीकरण प्रपत्रों को **website www.uk.gov.in** से तथा **website www.agriculture.uk.gov.in** से भी नियमानुसार **Download** किया जा सकता है।

1– वाटर लिफ्टिंग पंप–विद्युत/डीजल/कैरोसीन चालित

2– स्वचालित यंत्र

3– ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित यंत्र

4– पशु चालित यंत्र

5– मानव चालित यंत्र

6– कृषि रक्षा यंत्र–मानव चालित तथा ट्रैक्टर एवं शक्ति चालित

7– HDPE Pipe/ Water carrying pipes (Flexible pipes)

8– स्प्रिंकलर सैट (50 mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm,140mm)

ह0/ कृषि निदेशक,उत्तराखण्ड।

मूल्य जी0एस0टी0 सहित ₹2000/– (दो हजार रूपए मात्र)

कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के पंजीयन हेतु निर्धारित शर्तें एवं नियम

1. सभी विनिर्माता (Original Manufacturer) को विभाग द्वारा पंजीकरण फार्म का मूल्य बिक्री कर सहित ₹ 2000/– (दो हजार रूपये मात्र) में उपलब्ध होगा, फार्म कृषि निदेशालय, उत्तराखंड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर प्रातः 11:00 बजे से 5.00 तक दिनांक–28.08.2017 तक प्राप्त किये जा सकेंगे। पंजीकरण फार्म दिनांक–29.08.2017 तक कृषि निदेशालय, उत्तराखंड देहरादून, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून के कार्यालय में सायं 5.00 बजे तक नियोजन/तकनीकी सम्प्रेक्षण अनुभाग में जमा किये जा सकेंगें। प्राप्त सभी पंजीकरण प्रपत्र दिनांक–01.09.2017 से दिनांक–02.09.2017 को प्रातः 11.00 बजे कृषि निदेशालय में खोले जायेंगें। क्रय सम्बन्धी विभागीय रसीद (D-2) फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय। लिफाफे के ऊपर ***"पंजीकरण हेतु यंत्र का नाम"*** अवश्य अंकित किया जाय।
2. पंजीकरण प्रपत्रों को website www.uk.gov.in तथा www.agriculture.uk.gov.in से भी नियमानुसार Down load किया जा सकता है। Website से Download किये गये पंजीकरण प्रपत्र का शुल्क ₹ 2000.00 का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के पक्ष में क्रय किया गया हो, को पंजीकरण प्रपत्र के साथ Document के रूप में सलंग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यंत्र के पंजीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. पंजीकृत किये जाने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों को आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 मार्क के होंगे तथा FMTTI या भारत सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड होने चाहिए। फर्म को इस आशय का प्रमाण–पत्र पंजीकरण प्रपत्र के साथ सलंग्न करना आवश्यक होगा। पंजीकृत किये जाने वाले यंत्रों का विवरण निम्नानुसार है, जिनके स्पेसिफिकेशन सलंग्नक में है।

   1– वाटर लिफ्टिंग पंप–विद्युत/डीजल/कैरोसीन चालित, जो BIS/ISI मार्क का हो।

   2– स्वचालित यंत्र - FMTTI से टेस्टेड हों।

   3– ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित यंत्र– भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI से टेस्टेड हों।

   4– पशु चालित यंत्र - भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI से टेस्टेड हों।

   5– मानव चालित यंत्र - भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI से टेस्टेड हों।

   6– कृषि रक्षा यंत्र–मानव चालित तथा ट्रैक्टर एवं शक्ति चालित–कृषि रक्षा यंत्र जो BIS/ISI मार्क या भारत सरकार द्वारा नामित किसी भी संस्थान/FMTTI से टेस्टेड हों।

   7– HDPE Pipe– PE63 or 80.

   1– 20 mm ब्यास से 50 mm ब्यास (Rolled) IS 4984-1995 & IS 14151 Part I (PN 2.5 to 10.00 Kg/Sq.cm.)

   2– 40 mm ब्यास से 140 mm ब्यास with coupler IS 14151 Part I&II (PN 2.5 to 10.00 Kg/Sq.cm.)

   3– 40 mm ब्यास से 200 mm ब्यास (Flexible Pipe)

   8– स्प्रिंकलर सैट (50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 140mm)–जो BIS/ISI मार्क का हो।

4. कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की विशिष्टियां (Specification) पंजीकरण फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। इस के साथ ही फर्म को कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण–पत्र की सुस्पष्ट प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. पंजीकरण फार्म के साथ कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की वर्तमान दरें संलग्न प्रोफार्मा में अंकित की जाय।

6. पंजीकरण प्रस्ताव केवल मूल विनिर्माता फर्मो (Original Manufacturer) से ही स्वीकार किये जायेंगे।

7. यदि यंत्रों के मूल विर्निमाता देश से बाहर के है तथा उनके द्वारा देश में फर्म को Authorised Dealership दी गई है, जिससे उक्त फर्म यंत्र को देश में विक्रय कर सकती है। इस आशय का प्रमाण–पत्र, जो कि मूल विर्निमाता के द्वारा दिया गया हो, संबंधित फर्म को पंजीकरण प्रपत्र के साथ सलंग्न करना होगा।

8. प्रदायकों को मुख्य कृषि अधिकारी के आदेश एवं दिशा निर्देश के अनुसार कृषक/कृषकों को जनपद/विकासखण्ड स्तर/न्याय पंचायत तक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। इस हेतु प्रदायकों को जिला स्तर पर अपना नेटवर्क स्थापित करना होगा। प्रदायक द्वारा जिले में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के पास जी0एस0टी0 पंजीकरण तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी। प्रदायकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उनके द्वारा विक्रय की गयी सामग्री के लिये उचित मूल्य पर पुर्जे तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करावें। लाभार्थियों को इसके लिये प्राप्त अनुरोध पत्र से 15 दिनों के अन्दर यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विर्निमाता फर्म को अपने प्रस्ताव के साथ वर्तमान में जनपदवार उपलब्ध/नियुक्त अधिकृत विकताओं/डीलरों की सूची, जो कि फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो, को संलग्न करना होगा।

9. फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों पर पेन्ट से कृषि विभाग द्वारा अनुदानित वर्ष अंकित किया जायेगा तथा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरण कृषक को उपलब्ध कराते समय कृषक का यंत्र के साथ फोटो खिंचवाना होगा।

10. पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/मूल विनिर्माता फर्म को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है, साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट छाया प्रति भी फार्म के साथ संलग्न करनी होगी। प्रदायकर्ता को केन्द्रीय व्यापार पंजीकरण/वैट/जी0एस0टी0 एवं आयकर पैन नम्बर की छाया प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।

11. पंजीकरण के पश्चात यदि पंजीकृत फर्म द्वारा यंत्र की आपूर्ति में यदि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। विवाद की स्थिति में फर्म को कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।

12. पंजीकरण की वैधता तिथि–<u>31.09.2019</u> तक होगी। प्रदायकर्ता को पंजीकरण फार्म के साथ प्रत्येक यंत्र हेतु मु0 ₹ 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र)/₹ 50000 (पच्चास हजार रूपये मात्र) की बैक गारन्टी/बैंक ड्राफ्ट/ FDR जो कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के नाम हो तथा किसी राष्ट्रीय बैंक से देय हो, सलंग्न करनी होगी।

13. पंजीकरण हेतु निम्नानुसार पंजीयन शुल्क (Non Refundable) तथा बैंक गारन्टी/बैंक ड्राफ्ट पृथक–पृथक निम्नानुसार यंत्रवार देने होंगे। पंजीकृत किये जाने वाले यंत्रों की सूची का विवरण निम्न प्रकार है।

क० सं०	पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों का विवरण	पंजीयन शुल्क (₹ प्रति यंत्र)	राष्ट्रीयकृत बैंक की BG/ Bank Draft/FDR (₹ प्रति यंत्र)	अभ्युक्ति	पंजीकरण प्रपत्र खुलने का दिनांक
1	**Self Propelled Machines**			**Tested by FMTTI**	01.09.2017
	(a) Rice Transplanter	2000.00	50000.00		
	(b) Reaper cum Binder	2000.00	50000.00		
	(c) Reaper	2000.00	50000.00		
	(d) Drum Seeder	2000.00	50000.00		
2	**Tractor/Power Tiller driven Equipments**			**Tested by FMTTI/ Institute identified by GoI**	01.09.2017
	(a) MB Plough/ Disc Plough/ Ridger/ Cultivator/Harrow/ Weed Slasher/ Leveller Blade	2000.00	50000.00		
	(b) Zero Till Seed cum Fertilizer Drill/Seed Drill	2000.00	50000.00		
	(c) Laser Land Leveller	2000.00	50000.00		
	(d) Rotavator	2000.00	50000.00		
	(e) Reaper	2000.00	50000.00		
	(f) Power Weeder (engine operated also)	2000.00	50000.00		
	(g) Multi Crop Thresher/Thresher/ Brush Cutter/Chaff Cutter (also by engine/electric motor)	2000.00	50000.00		
	(h) Straw Reaper	2000.00	50000.00		
	(i) Rice Mill/Dall Mill/ Atta Chakki	2000.00	50000.00		
	(j) Happy Seeder	2000.00	50000.00		
3	**Manual/Animal driven Equipments**			**Tested by FMTTI/ Institute identified by GoI**	01.09.2017
	(a) Thresher	2000.00	25000.00		
	(b) Seed cum Fertilizer Drill	2000.00	25000.00		
	(c) Puddler/Weeder/Conoweeder/ Harrow/Cultivator/MB plough/ Disc Plough/Winnowing Fan	2000.00	25000.00	**Tested by FMTTI/ Institute identified by GoI**	02.09.2017
	(d) Chaff Cutter	2000.00	25000.00		
	(e) Garden Hand Tools	2000.00	25000.00		

क0 सं0	पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों का विवरण	पंजीयन शुल्क (₹ प्रति यंत्र)	राष्ट्रीयकृत बैंक की BG/ Bank Draft/FDR (₹ प्रति यंत्र)	अभ्युक्ति	पंजीकरण प्रपत्र खुलने का दिनांक
4	**Plant Protection Equipments (Manual/Tractor/Power)**			**BIS/ISI mark or tested by FMTTI/ Institute identified by GoI**	02.09.2017
	(a) Manual Sprayer – Knapsack / Foot Sprayer	2000.00	50000.00		
	(b) Power Knapsack Sprayer/ Power Operated Sprayer				
	(c) Tractor Mounted/Operated Sprayer				
5	**Water Lifting Pump**	2000.00	50000.00	**BIS/ISI mark**	02.09.2017
6	**HDPE Pipe/Water Carrying Pipes (Flexible pipes)**	2000.00	50000.00		
7	**Sprinkler Set (63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 140mm)**	2000.00	50000.00		

14. भारत अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज/आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।
15. यदि विभाग चाहे तो पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकृत अथवा समाप्त किया जा सकता है।
16. यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि–**31.09.2019** से पूर्व समाप्त होती है, तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।
17. प्रदायकों को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री की 1 वर्ष की गारंटी/वारंटी भी देनी होगी।
18. प्रदायकों को यंत्र प्रदाय के उपरान्त यंत्र को चलाने और उसके रख–रखाव की तकनीकी जानकारी से कृषकों को सन्तुष्ट करना होगा ।
19. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रदाय आदि के बारे में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धित प्रदायक का पंजीकरण निरस्त किया जायेगा और ऐसी फर्म को काली सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जायेगा।
20. प्रदायकों द्वारा समय–समय पर निदेशालय को वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित फर्म को पंजीकृत सूची से अलग किया जा सकता है।

21. फर्म द्वारा कृषि यंत्र की प्रस्तुत दर अन्य किसी राज्य में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नही होनी चाहिए। (रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण–पत्र सलंग्न किया जाय)

22. विनिर्माता फर्म द्वारा पंजीकरण कराये जाने वाले यंत्रों के टैक्निकल स्पेसिफिकेशन रूप पत्र संख्या–05 पर अनिवार्य रूप से अंकित करने होंगे अन्यथा यंत्र का पंजीकरण/किया जाना सम्भव नही होगा।

23. किसान द्वारा प्रदाय/विक्रेता को पूरी धनराशि देकर यंत्र, मशीनरी, उपकरण कय कर लिये जाने के उपरान्त कृषि विभाग को मूल कय रसीद प्रस्तुत करते हुये विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरांत सीधे किसान को एकाउंट पेई चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अनुदान का वितरण किया जायेगा। किसान के लिखित अनुरोध पर अनुदान एकाउंट पेई चैक/बैंक ड्राफ्ट डीलर को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

24. निर्माता फर्म को यह अधिकार होगा कि उनके द्वारा नियुक्त किये गये अधिकृत विक्रेता को परिवर्तन कर सकेंगे, परन्तु ऐसा करते समय विनिर्माता फर्म को कृषि निदेशालय को तत्काल लिखित में सूचित करना होगा।

25. पंजीकरण प्रमाण पत्र विक्रय परिसर में ऐसी खुली जगह पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जिसे कृषक/सामान्य व्यक्ति आसानी से देख सके।

26. शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तों/नियमों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

27. प्रदाय की गई कोई भी जानकारी कभी भी असत्य पाये जाने की दशा में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

28. कय किया गया पंजीकरण प्रपत्र किसी अन्य प्रदायकर्ता को न तो विक्रय किया जा सकेगा और न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

29. पंजीकरण प्रपत्र न तो डाक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और न ही डाक द्वारा स्वीकार्य किया जाएगा।

30. आपूर्तिकर्ताओं की आम ख्याति, विनिर्माण क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, पूर्व कार्यों की परफॉर्मेन्स प्रगति तथा आपूर्ति पश्चात दी जाने वाली सेवाओं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतिकूल दशा में जिले स्तर से भी आपूर्तिकर्ता की आम ख्याति के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी।

31. मुख्य कृषि अधिकारियों द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की परफॉर्मेन्स/आचरण पर निगरानी रखी जायेगी। विपरीत रिपोर्ट मिलने पर पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि पंजीकृत फर्म समय से आपूर्ति नही करती है, निम्न गुणवत्ता की आपूर्ति करती है, गलत घोषणा तथा तथ्य प्रस्तुत करता है अथवा राज्य सरकार की दृष्टि में कोई अन्य आधार जो जनहित में न हो, मुख्य कृषि अधिकारी/किसानों की शिकायत के आधार पर अनुमोदित सूची से नियमानुसार हटा दिया जायेगा।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि मशीन/यंत्र/उपकरण के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीकरण फार्म संख्या.....
दिनांक.....
सील.....
मूल्य 2,000.00 ₹ प्रति फार्म (जी0एस0टी0 सहित)

1. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण का नामः–.....
2. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण का नाम एवं ब्राण्ड यदि कोई हो तोः–.....
   (1) ब्राण्ड नेम की बैधता तिथि.....
3. विनिर्माता फर्म के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नामः–.....
4. विनिर्माता फर्म का नाम व पूरा पता फैक्स/फोन नं0 आदि सहितः–.....
5. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण के मानक स्तर का विवरणः–.....
   आई0एस0आई0/बी0आई0एस0
   (1) अधिकृत मार्क.....
   (2) अधिकृत मार्क की संख्या.....
   (3) अधिकृत मार्क की बैद्यता तिथि.....
   (4) टेस्टिंग रिपार्ट जिसे कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है का विवरण यदि यंत्र/उपकरण पर लागू होता हो.....
6. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण के विनिर्माण का विवरणः–
   (1)(राज्य उद्योग विभाग, पंजीकरण प्रमाण पत्र).....
   (2) फैक्ट्री जहां स्थित है। राज्य/स्थान.....
   (3) लाइसेंस संख्या व अन्तिम बैद्यता तिथि.....
7. यंत्र/उपकरण की सेल्फ लाईफ का विवरण.....
8. पंजीयन फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।
   अ– विभागीय कैश रसीद संख्या– (D-2).....
   ब– जमा की गयी धनराशि रू0–.....
9. बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी हेतु नामित बैंक का विवरणः–
   (1) प्रकार..... (2) बैंक का नाम .....
   (3) संख्या एवं तिथि ..... (4) प्रदत्त बैंक गारन्टी रू0.....

10. यंत्र/उपकरण की आपूर्ति का माध्यम/स्रोतः–

(आपूर्ति जिस डिपो से की जायेगी उस डिपो धारक का नाम व डाक पता, फोन एवं फैक्स नं0 अंकित करें).....

11. विनिर्माता फर्म का पैन नम्बर– .....

12. विनिर्माता फर्म केन्द्रीय जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या– .....

13. विनिर्माता फर्म उत्तराखण्ड जी0एस0टी0 कर पंजीयन संख्या–.....

(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. कार्य विनिर्माता फर्म के कार्य क्षेत्र का विवरणः– (1) सम्पूर्ण राज्य/चयनित जनपद (चयनित जिला हो तो उल्लेख किया जाये).....

15. वितरको को राज्य के जिलों में स्थापित नेटवर्क (अधिकृत विक्रेताओं की सूची जो यंत्र विक्रय के उपरान्त सेवा प्रदान करेंगे उनके विर्निमाता द्वारा अधिकृत प्रमाण–पत्र, पता एवं फोन नम्बर आदि का विवरण संलग्न किया जाये.....

16. क्या विर्निमाता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है "हां " और "नहीं" में उल्लेख किया जाये (100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण–पत्र सलंग्न किया जाय).....

17. क्या विनिर्माता फर्म के विरूद्ध किसी केन्द्र शासित प्रदेश/प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है, अथवा निष्पादित हुई है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें.....

<u>नोटः–</u> 1. प्रत्येक बिन्दु से संबन्धित प्रमाण पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त कम में ही संलग्न की जायें।

2. प्रत्येक कृषि यंत्र/उपकरण हेतु अलग–अलग तकनीकी प्रपत्र भरा जाएगा।

<u>निर्धारित पंजीयन हेतु शर्तों पर सहमति</u>

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी शर्ते भली–भॉति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तो से पूर्णतयाः सहमत हूँ।

विनिर्माता फर्म/प्रदायकर्ता/पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर.....

पूर्ण पता.....

.....

फोन नम्बर.....

फैक्स नम्बर.....

E-mail:.....

सील.....

Technical Specification

Name of Implements	Make & Model	Technical Specification
1. Power weeder (engine operated also)		Petrol/Desial operated Horse Power RPM ..... Number of Blade Field Capicity
2. Rotavator		Horse Power Field Capicity Number of Flanges & Distance of two Flanges Number of Blade
3. Straw reaper		Horse Power Field Capicity Lenth of Knife Stroke- Grain pan Capicity Number of Tine bars
4. Rice Mill/Daal Mill/Atta Chakki		Horse Power Working Capicity RPM
5. Multi crop thresher/ Paddy thresher/ Thresher (Also by engine/electric motor)		Horse Power Dia of thresher drum Out put-qtl/hr Number of bars
6. Chaff Cutter & Rice Transplanter		Horse Power Field Capacity-Ha/day Number of Blade
7. Cultivator /Harrow/ Weed Slasher/ Ridger		Horse Power Field Capacity-Ha/day Number of tynes Number of Disc Dia of Disc Number of Blade
8. MB Plough		Primemover required-hp No. of Disc Diameter of disc Field Capacity-Ha/day Weight
9. Disc Plough		Horse Power No. of Concave disc No. of Furrow wheel Size of disc Field Capacity-Ha/day
10. Patela		Overall length width Height Weight

Name of Implements	Make & Model	Technical Specification
11. Potato Planter		Horse Power Number of furrow opener Dia of tyne Number of roller Field Capacity-Ha/day
12. Bund former		Horse Power Number of disc Dia of disc Field Capacity-Ha/day
13. Reaper		Horse Power Field Capacity-Ha/day Number of Knife blades Number of RPM
14. Laser land leveller		Horse Power Field Capacity-Ha/day Level accuracy Rotation speed RPM Battery Life Laser source in NM
15. Watter Lifting Pump		Horse Power Size of Suction & Delivery pipe Head in mtr
16. Zero till seed cum fertilizer drill		Horse Power Number of tyne Number of openers Number of rollers Field Capacity-Ha/day Capacity of seed box
17. Plant Protection Iquipments 1- Manual Sprayer-Knapsack/Foot Sprayer		Tank Capacity Lenth of delivery pipe Field Capacity-Ha/day Discharge Rate Weight
2- Power Knapsack Sprayer/Power Operated Sprayer		Engien HP Field Capacity-Ha/day Gun discharge Rate Pump Speed –RPM Tank Capacity
3- Tractor mounter/Operated Sprayer		Horse Power Field Capacity-Ha/day Discharge Rate

List of Tractor/Power Tiller Driven Equipments
(Tested by FMTTI or Institute designated by DAC)

1- MB Plough/ Disc Plough/Cultivator/Harrow/ Weed Slasher/ Ridger
2- Zero till seed cum fertilizer drill
3- Laser land leveller
4- Leveller blade
5- Rotavator
6- Reaper
7- Power weeder (engine operated also)
8- Seed drill
9- Multi crop thresher/ Paddy thresher/ Thresher/ Brush cutter/ Chaff cutter (Also by engine/electric motor)
10- Straw reaper
11- Rice Mill/Dall Mill/ Atta Chakki
12- Happy Seeder

List of Self Propelled Machinery
(Tested by FMTTI)

1- Rice Transplanter
2- Reaper cum binder
3- Reaper
4- Drum Seeder

List of Manual/Animal Drawn Equipments/ Implements/Tools

(Tested by FMTTI or Institute designated by DAC)

1- Thresher
2- Puddler
3- Seed Cum Fertilizer Drill
4- Weeder/Conoweeder
5- Harrow
6- Cultivator
7- MB Plough
8- Disc Plough
9- Chaff Cutter
10- Winnowing fan
11- Garden hand tools

List of Plant Protection Equipments (Manual/Tractor/Power)

(ISI/BIS or Tested by FMTTI or Institute designated by DAC)

1- Manual Sprayer-Knapsack/Foot Sprayer
2- Power Knapsack Sprayer/Power Operated Sprayer
3- Tractor mounter/Operated Sprayer

वाटर लिफ्टिंग पम्प का विवरण एवं स्पेसिफिकेशन

1. 1.5 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 40 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 25 मि0मी0 (1 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 25 मि0मी0X25 मि0मी0 हो।
2. 1.5 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 30 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 40 मि0मी0 (1.5 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 40 मि0मी0 X 40 मि0मी0 हो।
3. 2.0 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 20 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 50 मि0मी0 (2 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 50 मि0मी0 X 50 मि0मी0 हो।
4. 2.0 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 25 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 40 मि0मी0 (1.5 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 40 मि0मी0 X 40 मि0मी0 हो।
5. 3.0 एच0पी0 पेट्रोल स्टार्ट/कैरोसीन ऑयल चालित, मोनो ब्लाक, सेल्फ प्राइमिंग जो कम से कम 28 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 75 मि0मी0 (3 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 75 मि0मी0 X 75 मि0मी0 हो।
6. 5.0 एच0पी0 डीजल चालित, मोनो ब्लाक, जो कम से कम 40 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक, 50 मि0मी0 (2 इंच) पानी पहुँचा सके तथा जिसके सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 50 मि0मी0 X 50 मि0मी0 हो।
7. 7.5 एच0पी0 डीजल चालित, 1500 आर0पी0एम0, जो कम से कम 10 मी0 की कुल ऊँचाई (कुल हैड) तक पानी पहुँचा/लिफ्ट कर सके तथा जिसका अधिकतम डिस्चार्ज कम से कम 2000 एल0पी0एम0 हो, तथा सक्शन पाईप X डिलिवरी पाईप का आकार 100 मि0मी0 X 100 मि0मी0 हो।

(1)

वित्तीय प्रपत्र

क0 सं0	फर्म का नाम व पूरा पता	मशीन/यंत्र का प्रकार	मेक माडल	प्रतिदिन कार्य क्षमता	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	बेसिक मूल्य रू0	करों का विवरण				दर प्रति यंत्र रू0 (7+11) का योग	बाजार मूल्य दर
							सी0जी0 एस0टी0 (%)	एस0जी0 एस0टी0 (%)	अन्य कर यदि कोई हो	योग (8+9+10) in Rs.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता .....

फोन न0.....

फैक्स न0.....

E-Mail.....

(2)

Technical Specification of Pump

Sl. No	Particulars	B.H.P. Detalis/Capacity				
1.	Rated B.H.P					
2.	Category					
3.	Make & Model, No. of pump set					
4.	ISI/BIS specification (attach certificate)					
	a) pump					
	b) Engine					
5.	Bore X Stroke (mmXMM)					
6.	No. of cylinder					
7.	Rated Speed (rpm)					
8.	Gross Wt. of pumpset					
9.	Max. Discharge(LPM)					
10.	Suction Head (m)					
11.	Max. total Head (m)					
12.	Discharge at Max. Head (LPM)					
13.	Suction X delivery (mmXMM)					
14.	Fuel Consumption (gm/KW-hr)					
15.	Fuel tank capacity (litre)					
	a) Kerosene					
	b) Petrol					
	c) Diesel					
16.	Cooling system					
17.	Self priming					
18.	Ignition System					

Note: Performance curve of each capacity and other details should be enclosed with Tender Form.

एच0डी0पी0ई0 पाइप का विवरण एवं विशिष्टियां

- पंजीकृत किये जाने वाले एच0डी0पी0ई0 पाइप का विवरण – PE63 or 80.

  1– 20 mm ब्यास से 50 mm ब्यास (Rolled) IS 4984-1995 &IS 14151 Part I (PN 2.5 to 10.00 Kg/Sq.cm.)

  2– 40 mm ब्यास से 140 mm ब्यास with coupler IS 14151 Part I&II (PN 2.5 to 10.00 Kg/Sq.cm.)

  3– 40 mm ब्यास से 200 mm ब्यास (Flexible Pipe)

वित्तीय प्रपत्र

IS:4984-1995 (PE-63/PE-80)

Sl. No.	Pipe Size	PN (Presurre Rate)	Rate/Meter					
			Basic /PrimaryCost Rs.	CGST in Rs	SGST in Rs	If other Tax in Rs	Total (5+6+7)	Total Cost/ Meter Rs. (4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

IS:14151 Part I & II-1995

Sl. No.	Pipe Size	PN (Presurre Rate)	Rate/Meter					
			Basic /PrimaryCost Rs.	CGST in Rs	SGST in Rs	If other Tax in Rs	Total (5+6+7)	Total Cost/ Meter Rs. (4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

वित्तीय प्रपत्र भाग–2

0.50 हेक्टैयर तथा 1.0 हैक्टेयर (63 मि0मी0) 0.50 हेक्टैयर तथा 1.0 हैक्टेयर (75 मि0मी0) तथा 1.0 हेक्टैयर (90 मि0मी0 पाईप) स्प्रिंकलर सेट की प्रति यूनिट में प्रयुक्त अवयवों की संख्या एवं दर का विवरण (जी0एस0टी0 सहित)

क्र0 सं0	एक स्प्रिंकलर सेट के अवयव जो आपूर्ति की जायेगी	50 मि0मी0 व्यास वाले सैट					63 मि0मी0 व्यास वाले सैट					75 मि0मी0 व्यास वाले सैट					90 मि0मी0 व्यास वाले सैट (75 मि0मी0 लेटरल के साथ)			90 मि0मी0 व्यास वाले सैट(90 मि0मी0 लैटरल के साथ)			110 मि0मी0 व्यास वाले सेट(110 मि0मी0 लेटरल के साथ)		
		दर	1/2 आधा है0 हेतु		1 (एक) है0 हेतु		दर	1/2 आधा है0 हेतु		1 (एक) है0 हेतु		दर	1/2 आधा है0 हेतु		1 (एक) है0 हेतु		1 (एक) है0 हेतु			1 (एक) है0 हेतु			1 (एक) है0 हेतु		
			संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	दर	संख्या	मूल्य	दर	संख्या	मूल्य	दर	संख्या	मूल्य
1	2																					18	19	20	21
1	110 मि0मी0 व्यास की मुख्य लाईन																							12	
2	110 मि0मी0 व्याय की लेठरल लाईन																							18	
3	90 मि0मी0 व्याय की मुख्य लाईन																		12		12				
4	90 मि0मी0 व्याय की लेठरल लाईन																				18				
5	75 मि0मी0 व्याय की मुख्य लाईन												12		12										
6	75 मि0मी0 व्याय की लेठरल लाईन												8		14				18						
7	63 मि0मी0 व्याय की मुख्य लाईन							12		12															
8	63 मि0मी0 व्याय की लेठरल लाईन							8		14															
9	50 मि0मी0 व्याय की मुख्य लाईन		12		12																				
10	50 मि0मी0 व्याय की लेठरल लाईन		8		14																				
11	पम्प कनेक्टिंग निपुल		1		1			1		1			1		1				1		1			1	
12	90 अंष वेण्ड कपलर सहित		1		1			1		1			1		1				1		1			1	
13	टी कपलर सहित		1		1			1		1			1		1				1		1			1	
14	इण्ड प्लग 50 मि0मि0 63मि0मि0 /75मि0मि0 / 90मि0मि0 / 110 मि0मि0		2		2			2		2			2		2				2		2			2	
15	स्पिंकलर कपलर विथ वैटन 50 मि0मि063मि0मि0 /75 मि0मी0 /90मि0मि0 / 110मि0मि0		4		7			4		7			4		7				9		9			9	
16	राइजर पाईप (जी0आई0)		4		7			4		7			4		7				9		9			9	
17	स्प्रिकलर नोजन (पीतल)		4		7			4		7			4		7				9		9			9	
18	90 मि0मी0 से 75 मि0मी0 एम0एच0डी0पी0ई0 रिडयूसर																		2						
19	अन्य																								

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता .....

फोन न0.....

फैक्स न0.....

(5)

वित्तीय प्रपत्र भाग–1

क्र0 सं0	फर्म का नाम व पूरा पता	बौछार यंत्र (Sprinkler Set)	दर प्रति सेट (in Rs)						एम0आर0पी0/ प्रति सेट	वर्षिक उत्पादन क्षमता
			बेसिक मूल्य ₹	सी0जी0एस0टी0	एस0जी0एस0टी0	अन्य कर यदि कोई हो	योग (5+6+7)	यूनिट कास्ट (4+8)		
1	2	3	4	5	6	7	08	09	10	11
	अ– 50 मि0मी0 सेट का मूल्य 1–आधा हे0 क्षेत्र सिचंन के लिये – ब – 63 मि0मी0 सेट का मूल्य 1–आधा हे0 क्षेत्र सिचंन के लिये – 2–एक हे0 क्षेत्र सिचंन के लिये – स – 75 मि0मी0 सेट का मूल्य 1–आधा हे0 क्षेत्र सिचंन के लिये – 2–एक हे0 क्षेत्र सिचंन के लिये – द – 90 मि0मी0 सेट का मूल्य 1–एक हे0 क्षेत्र सिचंन के लिये (75 मि0मी0 लेटरल पाइप के साथ)– 2–एक हे0 क्षेत्र सिचंन के लिये (90 मि0मी0 लेटरल पाइप के साथ) – य–110 मि0मी0 सेट का मूल्य 1–एक हे0 क्षेत्र सिचंन के लिये (110 मि0मी0 लेटरल पाइप के साथ)–									

प्रदायकर्ता /पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

पत्र व्यवहार का पूरा पता .....

फोन न0.....

फैक्स न0.....

E-Mail:.....

Technical Specification

क्र0सं0	मशीन/यंत्र का नाम	मेक माडल	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

नोटः–एच0डी0ई0 पाईप, स्प्रिंकलर सैट के अतिरिक्त अन्य यंत्रों के Technical Specification इस रूप पत्र में अवश्य अंकित किये जायें।